GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY हरिषाई परथीभाई चौधरी गृष्ठ राज्य मंत्री धारत सरकार नार्य ब्लॉक, नई दिल्ली

सं. 46]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2015/चैत्र 26, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 7

No. 46]

DELHI, THURSDAY, APRIL 16, 2015/CHAITRA 26, 1937

[N.C.T.D. No. 7

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय अधिसूचना दिल्ली, 16 अप्रैल, 2015

फा. सं. 23(13)/एल.ओ.पी./2015/विसस-6/विधायी/255.—गाननीय अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2001 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 6) की धारा—2 के अनुसरण में श्री विजेन्द्र गुप्ता, सदस्य दिल्ली विधान सभा जोकि सदन में सरकार के विपक्ष में सर्वाधिक सदस्यों वाले दल के नेता हैं को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की है।

एल. आर. गर्ग, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th April, 2015

No. 23 (13)/L.O.P./2015/LAS-VI/Leg/255.—The Hon'ble Speaker has recognized Shri Vijender Gupta, Member of the Legislative Assembly who 's, the Leader of the House of the Party in Opposition to the Government having the greatest numerical strength, as Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi with immediate effect in terms of Section 2 of The Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salary and Allowances) Act, 2001(Delhi Act No. 6 of 2002).

L. R. GARG, Secy.

THE RESERVE AND THE PARTY OF TH

गृह—I (पुलिस) / स्थापना विमाग अधिसूचनाएँ दिल्ली, 16 अप्रैल, 2015

सं. एफ.16/5/2014/गृ.पु.—1/स्था./248 से 250.——दिल्ली पुलिस अधिनियम—1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (पदोन्नित व स्थायीकरण) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने के लिये निम्निलखित नियम बनाते हैं:—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 1. ये नियम दिल्ली पुलिस (पदोन्नित व स्थायीकरण) (संशोधन) नियमावली, 2015 कहलाएंगे। 2. ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- 1. दिल्ली पुलिस नियमावली, 1980 (पदोन्नित एवं स्थायीकरण) (इसके पश्चात् उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम—7 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगाः—

नामांकित पुलिसकर्मियों की पदोन्नति:-

- 7(i) पदोन्नित हेतु एक पदोन्नित पैनल बनाया जाएगा। रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर, इस पैनल से अभ्यर्थियों को पदोन्नित दी जाएगी तथा (1) कार्यकारी (2) तकनीकी (3) लिपिकीय तथा (4) स्टेनो केंडर्स के लिए अलग—अलग पैनल बनाया जाएगा।
- (ii) पदोन्नित सूची की संपूर्ण कालावधी के दौरान इसमें शामिल कर्मियों के आचरण व दक्षता को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। जिस भी अधिकारी का नाम पदोन्नित सूची में हैं, यदि वह चिरत्र या पद के उत्तरदायित्वों की उपयुक्तता के विषय में किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है या किसी विशेष कार्यों या कुल मिलाकर उसके रिकार्ड से पाया जाता है, कि वह उच्च रैंक पर पदोन्नित के लिये उपयुक्त नहीं है तो इसकी सूचना सिपाही से लेकर सहायक—उप—िनरीक्षक तक उपायुक्त पुलिस/स्थापना को दी जाएगी तथा उप—िनरीक्षक और निरीक्षक के मामले में इसकी सूचना संयुक्त आयुक्त पुलिस/मुख्यालय, दिल्ली को दी जाएगी। हालांकि किसी का नाम पदोन्नित सूची से हटाने का अन्तिम निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा "कारण बताओं नोटिस" देने के बाद ही किया जाएगा।
- 2. उक्त नियमावली के नियम-8 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:--
- "8. विभागीय पदोन्नित समिति का गठनः—विभिन्न ग्रेडों/संवर्गों में विभिन्न रैंको के लिये पदोन्नित हेतु कर्मियों की फिटनैस की जाँच विभागीय पदोन्नित समिति द्वारा की जाएगी जिसका गठन पुलिस आयुक्त, दिल्ली द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा:—
- (i) स्थायी सिपाही की प्रधान सिपाही के रैंक, स्थायी प्रधान सिपाही की सहायक—उप—िनरीक्षक के रैंक तथा स्थायी सहायक—उप—िनरीक्षक की उप—िनरीक्षक के रैंक तक की पदोन्नित के लिये पदोन्नित पैनल विभागीय पदोन्नित सिनित द्वारा तैयार किया जाएगा जिसमें एक संयुक्त आयुक्त पुलिस तथा दो उपायुक्त पुलिस शामिल होंगे जिन्हे आयुक्त पुलिस द्वारा नामांकित किया जाएगा।
- (ii) स्थायी उप—िनरीक्षकों की निरीक्षकों के पदों की पदोन्नित के लिए विभागीय पदोन्नित सिनित द्वारा एक पदोन्नित पैनल बनाया जाएगा जिसमें विशेष आयुक्त पुलिस (प्रशासन) एवं दो संयुक्त आयुक्त पुलिस को आयुक्त पुलिस द्वारा नामांकित किया जाएगा'।
- 3. उक्त नियमावली में, नियम 9 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
- "9. केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण व आदेश जारी करनाः— सभी श्रेणियों के विभिन्न रैंको की पदोन्नित सीघे पुलिस मुख्यालय से ही की जाएगी। संबंधित विभागीय पदोन्नित समिति द्वारा नाम अनुमोदित किये जाने के बाद, पदोन्नित के आदेश, जब आवश्यक हो तो, उप—िनरीक्षक, सहायक—उप—िनरीक्षक, प्रधान—िसपाही तथा सिपाही के मामले में उपायुक्त पुलिस (स्थापना) द्वारा जारी किये जाएंगे तथा निरीक्षक के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते, अतिरिक्त आयुक्त / संयुक्त आयुक्त पुलिस (मुख्यालय) द्वारा किये जाएंगे।
- उक्त नियमावली में, नियम 12 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
- "12. पदोन्नित सूची:—(1) प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के माध्यम से प्रधान सिपाही (कार्यकारी) के पद के लिये बनाई गई पदोन्नित सूची ऐसे स्थायी सिपाहियों (कार्यकारी) की सूची होगी जिन्हें लोअर स्कूल कोर्स में भेजे जाने के लिये उपयुक्त समझा गया है। वे स्थायी सिपाही जो पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, उन पर विचार किया जाएगा। विभागीय पदोन्नित समिति की



संस्तुतियों पर सूची तैयार की जाएगी जिसका मूल्यांकन (1) सेवा अभिलेख (2) वरिष्ठता (3) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (4) व्यावसायिक परीक्षा परिचय के आधार पर किया जाएगा जिसमें निम्न विषय होंगे:—

- शारीरिक सहनशक्ति परीक्षा।
- प्राथमिक कानून व पुलिस प्रयोगात्मक कार्य।
- सामान्य ज्ञान।
- व्यावसायिक कार्य।
- (2) सिपाही (कार्यकारी) 30 वर्ष की आयु तक परीक्षा में बैठने के योग्य होगा। चयनित सिपाहियों का नाम आगामी एक वर्ष में होनी वाली प्रधान सिपाहियों की रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके विरुठताक्रम के आधार पर पदोन्नित सूची में रखा जाएगा। चुने हुए सिपाहियों को मेडिकली फिटनेस के होने पर लोअर स्कूल कोर्स में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। पदोन्नित प्रशिक्षण पूरा करने हेतु अभ्यर्थी को केवल तीन मौके दिये जाएगे, उनमें असफल रहने पर उसके पदोन्नित के दावे को खारिज कर दिया जाएगा। जो प्रार्थी लोअर स्कूल पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे, उन्हें विभागीय पदोन्नित समिति के समय विद्यमान रिक्तियों के स्थान पर विभागीय पदोन्नित समिति की तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जायेगा तथा पैनल के भोश प्रत्याशियों को समय—समय पर होने वाली रिक्तियों की तिथि से उनकी वरिष्ठताक्रम के अनुसार पदोन्नत किया जायेगा।
- (3) "कम से कम पाँच वर्ष की सेवा वाले सिपाही "ड्रिल इस्ट्रक्टर कोर्स" के लिए योग्य होंगे। प्रथम श्रेणी में प्रवीणता प्रमाण सिहत कोर्स पूर्ण कर लेने पर उनके नाम पदोन्नित सूची में रखे जाएंगे तथा उन्हें विरिष्ठता को ध्यान में न रखते हुए मेडिकली फिटनेस के होने पर अन्य सिपाहियों के साथ अगले लोअर स्कूल पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु मेजा जायंगा। वे पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज/पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में ड्रिल इस्ट्रक्टर के रूप में पाँच वर्ष का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा करेंगे अन्यथा उन्हें फिर से सिपाही के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा तथा प्रधान—सिपाही (कार्यकारी) के पद पर पदोन्नित की नियमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा में बैठना होगा। पदोन्नित पर उनकी वरिष्ठता नियमित पदोन्नित के नीचे तथा ड्रिल कोर्स उर्तीण कर लेने के बाद बनाई गई सूची में आउट ऑफ टर्न प्रमो ान की सूची के बाद होगी।"

5. उक्त नियमावली में, नियम-13 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

13 (तकनीकी कैंडर)—विशेषीकृत व तकनीकी कैंडर के स्थायी सिपाही, जिसमें बैंड वाले, बिगुलर्स, माउंटेड सिपाही, आर्मोर्स, वायरलैस ऑपरेटर, डॉग हैन्डलर आदि शामिल हैं, सिपाही के रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, वे पदोन्नित हेतु विचारणीय होंगे, बशर्ते कि वे अपने कैंडर में उच्च पद के लिए निर्धारित विभिन्न शर्ते पूरी करते हों। चयन विभागीय पदोन्नित सिमिति की संस्तुति पर किया जाएगा। इस तरह चयनित सिपाहियों को उनके सम्बद्ध केंडर में सिपाही की रैंक में उनके विरष्ठताक्रम के आधार पर पदोन्नित सूची (तकनीकी) में रखा जाएगा। सूची में शामिल व्यक्तियों की संख्या मौजूदा रिक्तियों और प्रधान सिपाही की रैंक में संबद्ध व्यवसाय में, सूची की तैयारी की तिथि से एक वर्ष के दौरान समावित रिक्तियों के अनुसार होगी।

6. उक्त नियमावली में नियम-14 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"14. विरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रधान सिपाही (कार्यकारी) के पद की पदोन्नित सूची उन सिपाहियों की सूची होगी, जो प्रधान सिपाही की रैंक में पदोन्नित के लिये सेवाकाल और सेवा अभिलेख के आधार पर विभागीय पदोन्नित सिमिति द्वारा तैयार की जाएगी। ऐसे सिपाहियों की जिन पर विभागीय पदोन्नित सिमिति द्वारा विचार किया जा रहा है, न्यूनतम अहर्क सेवा पांच वर्ष होनी चाहिए। पदोन्नित का अनुपात प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 25 प्रतिशत तथा वरिष्ठता क्रम एवम उपयुक्तता के माध्यम से 75 प्रतिशत होगा। पदोन्नित प्रत्याशियों का वरिष्ठताक्रम उस वर्ष की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से तैयार की गई नियमित पदोन्नित सूची के बाद होगा। चुने गए सिपाहियों को मेडिकली फिटनेस होने पर लोअर स्कूल कोर्स में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। पदोन्नित प्रशिक्षण पूरा करने हेतु अभ्यर्थी को केवल तीन मौके दिये जाएंगे उनमें असफल रहने पर उसके पदोन्नित के दावे को निरस्त कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी लोअर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे उन्हें विभागीय पदोन्नित सिमिति के समय विद्यमान रिक्तियों के स्थान पर विभागीय पदोन्नित सिमिति की तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नित किया जायेगा। तथा पैनल के शेष प्रत्याशियों को समय—समय पर होने वाली रिक्तियों की तिथि से उनके वरिष्ठताक्रम के अनुसार पदोन्नित किया जायेगा।

7. उक्त नियमावली में, नियम-15 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"15 "15. सहायक—उप—िनरीक्षक (कार्यकारी) के पद हेतु पदोन्नित सूची:—(i) स्थायी प्रधान सिपाही जो इसी रैंक पर कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों, योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्नित सिमिति की संस्तुतियों पर किया जाएगा। इस प्रकार चयिनत प्रधान सिपाहियों को विश्वताक्रम के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान सहायक उप—िनरीक्षक के संभावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्नित सूची में रखा जायेगा। उनकी चिकित्सीय जॉब

माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा सिवाय उनके, जो प्रशिक्षण शुरू होने की तिथि से 24 महीने के अन्दर—अन्दर सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाले हों। पदोन्नित प्रशिक्षण पूरा करने हेतु प्रार्थी को केवल तीन मौके दिये जाएंगे उसमें असफल होने पर उसके पदोन्नित के दावे को निरस्त कर दिया जाएगा। जिन्होंने सफलतापूर्वक इन्टरमीिडएट स्कूल पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और जिन प्रत्याशियों को प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है, उन्हें विभागीय पदोन्नित समिति के समय विद्यमान रिक्तियों के स्थान पर विभागीय पदोन्नित समिति की बैठक की तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नित किया जाएगा और पैनल के शेष प्रत्याशियों को समय—समय पर होने वाली रिक्तियों की तिथि से उनके वरिष्ठताक्रम के आधार पदोन्नित किया जायेगा।

- (ii) तकनीकी संवर्ग:—स्थायी प्रधान सिपाही (तकनीकी संवर्ग) जो प्रधान सिपाही के रूप में कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों, योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्नित समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। इस तरह से चयनित प्रधान सिपाहियों को वरिष्ठताक्रम के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान सहायक उप—िनरीक्षक (तकनीकी संवर्ग) के रैंक में उनके संबंधित संवर्ग की संभावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्नित सूची में रखा जायेगा। तथा सहायक उप—िनरीक्षक के पद पर जब कभी रिक्तियां होंगी पदोन्नत किया जायेगा।
- (iii) लिपिकीय सवर्गः—स्थायी प्रधान सिपाही (लिपिकीय संवर्ग) जो प्रधान सिपाही के रूप में कम से कम पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों, योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्नित समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। इस तरह से चयनित प्रधान सिपाहियों को विष्ठताक्रम के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान सहायक उप—िनरीक्षक (लिपिकीय संवर्ग) के रैंक की संभावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्नित स्वर्ग (लिपिकीय संवर्ग) में रखा जायेगा। तथा सहायक उप—िनरीक्षक के पद पर जब कभी रिक्तियां होंगी पदोन्नित (लिपिकीय संवर्ग) भेंकया जायेगा।
- 8. उक्त नियमावली में, नियम-16 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:--
- "16. उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद हेतु पदोन्नित सूची:-(i) स्थायी सहायक-उप-निरीक्षक (कार्यकारी) जो इस पद पर कम से कम 06 वर्षों की सेवाकाल अविध पूर्ण कर चुके हों, पदोन्नित हेतु योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्नित सिनित की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। इस तरह से चयनित सहायक-उप-निरीक्षकों को विरिष्ठताक्रम के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान उप-निरीक्षक के रैंक की संभावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्नित सूची में रखा जायेगा। चयनित सहायक-उप-निरीक्षकों को समुचित चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् अपर स्कूल कोर्स में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा सिवाय उनके जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से 24 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों। पदोन्नित प्रशिक्षण पूरा करने हेतु अभ्यर्थी को केवल तीन मौके दिये जाएंगे उसमें असफल होने पर उनके पदोन्नित के दावे को निरस्त कर दिया जाएगा। जिन्होंने सफलतापूर्वक अपर स्कूल पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और जिन प्रत्याशियों को प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है, उन्हें विभागीय पदोन्नित सिनित के समय विद्यमान रिक्तियों के स्थान पर विभागीय पदोन्नित सिनित की बैठक की तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नित किया जायेगा तथा पैनल के शेष प्रत्याशियों को समय-समय पर होने वाली रिक्तियों की तिथि से उनके विरिष्ठताक्रम के अनुसार पदोन्नित किया जायेगा।
- (ii) तकनीकी संवर्ग स्थायी सहायक—उप—िनरीक्षक (विशेषीकृत / तकनीकी) जो इस पद पर अपने केंडर में कम से कम 06 वर्षों का सेवाकाल अविध पूर्ण कर चुके हों, योग्य होंगे। उप—िनरीक्षक (आर्मरर) के लिये, कम से कम 12 वर्षों की सेवा वाले स्थायी प्रधान सिपाही (आर्मरर) भी योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्नित समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। इस तरह से चयनित सहायक उप—िनरीक्षक (विशेषीकृत / तकनीकी) को वरिष्ठताक्रम के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान उप—िनरीक्षक (विशेषीकृत / तकनीकी) के रैंक की संभावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्नित सूची (तकनीकी संवर्ग) में रखा जायेगा। तथा उप—िनरीक्षक के पद पर जब कभी रिक्तियां होंगी पदोन्नत किया जायेगा।

(iii) <u>लिपिकीय संवर्ग</u>—

स्थायी सहायक—उप—िनरीक्षक (लिपिकीय) जो इस पद पर अपने केडर में कम से कम 06 वर्षों का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों, योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्नित समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। चयनित प्रत्याशियों को विरष्ठताक्रम के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान उप—िनरीक्षक (लिपिकीय संवर्ग) के रैंक की संभावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्नित सूची (लिपिकीय संवर्ग) में रखा जायेगा। तथा उप—िनरीक्षक (लिपिकीय) के पद पर जब कभी रिक्तियां होंगी पदोन्नित किया जायेगा।

(iv) आशुलिपिक:—दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के बाद सहायक—उप—िनरीक्षक (स्टेनो) को उसी पे बैन्ड व ग्रेड पे पर उप—िनरीक्षक (स्टेनो) के पद पर नामित कर दिया जाएगा।



- 9. उक्त नियमावली में, नियम-17 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-
- 17. <u>कार्यकारी संवर्ग</u>:—(i) स्थायी उप—िनरीक्षक (कार्यकारी) जो उप—िनरीक्षक (कार्यकारी) पद पर अपने केंडर में कम से कम 06 वर्षों का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों, योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्नित समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। चयनित उप—िनरीक्षकों को वरिष्ठताक्रम के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान संभावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्नित सूची (कार्यकारी) में रखा जायेगा तथा निरीक्षक के पद पर जब कभी रिक्तियां होंगी पदोन्नित किया जायेगा।
- (ii) तकनीकी संवर्ग-स्थायी उप-निरीक्षक (विशेषीकृत/तकनीकी) जो इस पद पर अपने केंडर में कम से कम 06 वर्षों का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों, योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्तित समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। चयनित उप-निरीक्षकों को वरिष्ठताक्रम के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान संमावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्तित सूची (विशेषीकृत/तकनीकी) में रखा जायेगा तथा निरीक्षक के पद पर जब कभी रिक्तियां होंगी पदोन्तत किया जायेगा।
- (iii) लिपिकीय संवर्ग स्थायी उप—िनरीक्षक (लिपिकीय) तथा स्थायी शॉर्टहेंड रिपोर्टर (उप—िनरीक्षक) जो उप—िनरीक्षक (लिपिकीय) तथा शॉर्टहेंड रिपोर्टर (उप—िनरीक्षक) के पद पर कम से कम 06 वर्ष की सेवाकाल अवधि पूर्ण कर चुके हों, योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्नित समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। इस तरह चयनित उप—िनरीक्षक (लिपिकीय) तथा शॉर्टहेंड रिपोर्टर (उप—िनरीक्षक) को वरिष्ठताक्रम के आधार पर पदोन्नित सूची (लिपिकीय) में रखा जाएगा। इस तरह चयनित उप—िनरीक्षक (लिपिकीय) व शॉर्टहेंड रिपोर्टर (उप—िनरीक्षक) को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नित सूची (लिपिकीय) में आगामी एक वर्ष में होने वाली संमावित रिक्तियों की संख्या को देखते हुए रखा जायेगा तथा निरीक्षक (लिपिकीय) के पद पर जब कभी रिक्तियां होंगी पदोन्नित किया जायेगा।
- (iv) आशुलिपिक:— स्थायी सहायक—उप—िनरीक्षक (स्टेनोग्राफर) जो उच्चीकरण के द्वारा उप—िनरीक्षक (स्टेनो) के पद पर नियुक्त हुए हैं तथा स्टेनोग्राफर (सहायक उप—िनरीक्षक / उप—िनरीक्षक) के केंडर में कम से कम 13 वर्षों का सेवाकाल पूर्ण कर चुके हों, पदोन्नित हेतु योग्य होंगे। चयन विभागीय पदोन्नित समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाएगा। चयनित प्रत्याशियों को विरुष्ठताक्रम के आधार पर अगले एक वर्ष के दौरान संभावित रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पदोन्नित सूची (स्टेनोग्राफर) में रखा जायेगा। तथा निरीक्षक (स्टेनोग्राफर) के पद पर जब कभी रिक्तियां होंगी पदोन्नित किया जायेगा। तथापि ये निरीक्षक (स्टेनो) DANIPS केंडर के लिए निरीक्षकों की सामान्य वरिष्ठता सूची में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। योग्य उच्चीकृत उप—िनरीक्षक नामित (स्टेनो) को अंडरटेकिंग भरनी होगी कि वे जानते है कि मौजूदा उप—िरीक्षक / सहायक उप—िरीक्षक (स्टेनो) DANIPS केंडर में जाने का दावा नहीं कर सकते।"
- 10. उक्त नियमावली में, नियम--19 के उप-नियम--(ii) के स्थान पर निम्न उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:- प्रोत्साहित करने के लिए
- "19 (ii):—असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ियों, निशानेबाजों, अधिकारियों जो असीम शौर्य और ड्यूटी के प्रति निष्ठा दिखा चुके हो, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस आयुक्त, प्रशासक के अनुमोदन के पश्चात् अगले उच्च पद पर पदोन्नत कर सकता है, बशर्ते कि रिक्तियों उपलब्ध हों। ऐसी पदोन्नित रैंक में दिये गये वर्ष में खाली रिक्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं की जायेगी। ऐसी पदोन्नित को तदर्थ माना जाएगा तथा ये पदोन्नित केवल उन्हीं अधिकारियों को दी जाएगी जो स्थायी हों अथवा मूल पद पर परिवीक्षा अविध पूर्ण कर चुके हों। स्थायी पदोन्नित अगले पद पर केवल तभी की जाएगी जब लोअर / इन्टर / अपर स्कूल कोर्स जैसे प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों। प्रशिक्षण पूरा करने हेतु प्रार्थी को केवल तीन मौके दिये जाएगें उसमें असफल होने पर उसके पदोन्नित के दावे को निरस्त कर दिया जाएगा। वरिष्ठता के प्रयोजनों हेतु ऐसी पदोन्नितयों को उस वर्ष की नियमित पदोन्नत सूची, यदि कोई है, में सबसे अन्त में रखा जाएगा।
- 11. उक्त नियमावली में, नियम-20 के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:--
- 20. महिला पुलिस की पदोन्नित—पदोन्नित सूचियों में नामों के शामिल किये जाने और पुष्टिकरण को लेकर पुरूष पुलिस के लिए जो नियम बनाये गये हैं, वे यथावश्यक संशोधनों सिहत मिहला पुलिस पर भी लागू होंगे, लेकिन चयन के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार विभागीय पदोन्नित सिमित द्वारा अलग से आयोजित किये जायेंगे। फिर भी यदि प्रतिस्पर्धा परीक्षा के माध्यम से कोई मिहला सिपाही पदोन्नित सूची में ना हो तो ऐसे में समस्त मिहला प्रधान सिपाही के पद की सभी रिक्तियां वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध महिला सिपाहियों द्वारा पदोन्नित द्वारा भरी जायेंगी।

1727 89/15-2

HOME-I (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS Delhi, the 16th April, 2015

F. No. 16/5/2014/HP-I/Estt./248 to 250.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules, further to amend the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980, namely:—

- 1. Short title and commencement:-
- (1) These rules may be called the Delhi Police (Promotion and Confirmation) (Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 1. In the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980 (hereinafter referred to as the said rules), for rule-7, the following rule shall be substituted, namely:—

Promotion of enrolled police personnel:-

- "7 (i) A promotion panel shall be maintained for promotion. Based on availability of vacancies, candidates will be promoted from this panel and each panel shall be maintained separately for (1) Executive (2) Technical (3) Ministerial and (4) Steno Cadres.
- (ii) The conduct and efficiency of personnel on promotion list shall be, at all times, watched with special care. Any officer whose name exists on the promotion list, if found guilty of a misconduct reflecting upon his character or fitness for responsibility of the post or who reflects either by specific acts or by his record as a whole that he is unfit for promotion to higher rank shall be reported to the Deputy Commissioner of Police/Estt., Delhi in respect of Constables to ASIs and Joint Commissioner of Police (HQ) Delhi in respect of Sub Inspectors and Inspectors. However, final decision regarding removal of name(s) from a promotion list shall be taken by the Appointing Authority only after giving show cause notice to the individual."
 - 2. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:—
 - "8. Constitution of Departmental Promotion Committee:- Fitness of personnel for promotion to various ranks in different grades/cadres shall be judged by departmental promotion committees, which shall be constituted by the Commissioner of Police as under:—
 - (i) For promotion of confirmed Constables to the rank of Head Constable, promotion of confirmed Head Constables to the rank of Asstt. Sub-Inspector and promotion of confirmed Asstt. Sub-Inspector to the rank of Sub-Inspector, the promotion panel should be drawn by the Departmental Promotion Committee, consisting of one Joint Commissioner of Police and two Deputy Commissioners of Police to be nominated by the Commissioner of Police.
 - (ii) For promotion of confirmed Sub-Inspectors to the rank of Inspector. The promotion panel should be drawn by the Departmental Promotion Committee consisting of Special Commissioner of Police (Admn.) and two Joint Commissioners of Police to be nominated by Commissioner of Police."
 - 3. In the said rules, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:—
 - "9. Centralized processing and issue of orders.- Promotion of all categories in various ranks shall be done centrally by Police Head Quarters. After names have been approved by the concerned Departmental Promotion Committee, orders for promotion, when required shall be issued by the Deputy Commissioner of Police, (Estt.) in respect of Sub-Inspectors, Assistant Sub-Inspectors, Head Constables and Constables, and for Inspectors by Additional/Joint Commissioner of Police (HQ) as the appointing authorities."
 - 4. In the said rules, for rule 12, the following rule shall be substituted, namely:—
- Promotion List.—(1) Promotion List for the post of Head Constable (Executive) through Competitive Examination, shall be a list of confirmed Constables (Executive) considered fit for being sent to lower School Course. Confirmed Constables having a minimum of five years service shall be eligible for consideration. The list shall be framed on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, which shall

adopt the evaluation system based on (1) Service record (2) Seniority (3) Annual Confidential Reports (4) Acquaintance with Professional test which shall cover the following subjects:—

- Physical endurance test.
- Elementary law and Police practical work.
- General Knowledge,
- Professional work done.
- (2) A Constable (Executive) up to 30 years of age shall be eligible to appear in tests. The names of selected Constables shall be brought on Promotion List in order of their seniority keeping in view the numbers of vacancies in the rank of Head Constables likely to be available in the following one year. The selected Constables will be sent for Lower School Course subject to their medical fitness. Only three chances to complete the promotional training will be given to a candidate, failing which, his promotional claim will be cancelled. Those who successfully qualify the lower school course shall be promoted on regular basis, from the date of Departmental Promotion Committee held for the candidates against the existing vacancies at the time of Departmental Promotion Committee and for the remaining candidates on the panel, from the date of vacancy as and when such vacancies arise, in order of their respective seniority.
- (3) "Constables with a minimum of five years of service shall be eligible to undergo Drill Instructors Course. On satisfactory completion of the course with 1st class proficiency certificate, their names shall be brought on promotional list and sent for training in the next Lower School Course along with others, irrespective of their seniority, subject to the medical fitness. They shall complete a successful five years tenure as Drill Instructor in Police Training College/Police Training School, otherwise they shall be reverted back to the rank of Constable and required to appear in the regular competitive Test for promotion as Head Constable (Exc.). Their seniority on Promotion will be fixed at the bottom of regular promotees and after the list of Out of Turn Promotions in the list drawn after the passing of Drill Course."

5. In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:—

"13 (Technical Cadre) — Confirmed Constables from specialized and technical cadres including the Bands-men, buglars, mounted Constables, armourers, wireless operators, dog handlers etc., who have put in minimum five years of service as Constable shall be eligible for consideration of promotion provided they fulfill various requirements as prescribed in the rules for the higher post in their respective cadres. Selection shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee. Constables so selected shall be brought on promotion list (Technical) in order of their seniority in the rank of Constable in their respective cadres. The number of persons included in the list shall be restricted to the existing vacancies and those likely to occur during the course of one year from the date of preparation of list in the respective trade in the rank of Head Constable."

6. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:—

"14. Promotion List for the post of Head Constable (Executive) through Seniority-cum-suitability shall be a list of Constables, which shall be prepared by the Departmental Promotion Committee on the basis of length of service and service record, for promotion to the rank of Head Constable. The minimum qualified service of such Constables, who are being considered by Departmental Promotion Committee, should be five years. The ratio of promotion through competitive examination shall be 25% and 75% will be by seniority-cumsuitability. For purposes of seniority such promotees shall be placed after the regular promotion list drawn through competitive test for that year. The selected constables will be sent for lower School Course subject to their medical fitness. Only three chances to complete the promotional training shall be given to a candidate, failing which, his promotional claim shall be cancelled. Those who successfully qualify the lower school course shall be promoted on regular basis, from the date of Departmental Promotion Committee held for the candidates against the existing vacancies at the time of Departmental Promotion Committee and for the remaining candidates on the panel, from the date of vacancy as and when such vacancies arise, in order of their respective seniority.

7. In the said rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely:-

"15. Promotion List for the post of Assistant Sub Inspector (Executive):— (i) Confirmed Head Constables, who have minimum of five years service in the rank, shall be eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Head Constables, so selected, shall be

brought on promotion list, keeping in view the number of vacancies likely to occur in the rank of Assistant Sub-Inspector in the following one year, in order of their respective seniority in the rank of Head Constable. They shall be detailed for training in the Intermediate School Course subject to suitable medical examination, except those who are going to be retired within 24 months from the date of commencement of training. Only three chances to complete the promotional training shall be given to a candidate, failing which, his promotional claim shall be cancelled. Those, who successfully qualify the Intermediate School Course as well as candidates, who are exempted from the training, shall be promoted on regular basis, from the date of Departmental Promotion Committee held for the candidates against the existing vacancies at the time of Departmental Promotion Committee and for the remaining candidates on the panel, from the date of vacancy as and when such vacancies arise, in order of their respective seniority.

(ii) Technical Cadre -

Confirmed Head Constables (Technical Cadre), who have minimum of five years of service as Head-Constable, shall be eligible. The selection shall be made on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee. The Head-Constables so selected, shall be brought on Promotion List (Technical Cadre) in order of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies in the rank of Assistant Sub-Inspector (Technical Cadre) in their respective trades likely to occur in the following one year and promoted to the rank of Assistant Sub-Inspector as and when vacancies occur.

(iii) Ministerial Cadre -

Confirmed Head Constables (Ministerial Cadre), who have minimum of five years service as Head-Constable, shall be eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Head-Constables so selected, shall be brought on Promotion List (Ministerial Cadre) in order of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies in the rank of Assistant Sub-Inspector (Ministerial Cadre) in the following one year and promoted to the rank of Assistant Sub-Inspector (Ministerial Cadre) as and when vacancies occur."

8. In the said rules, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:

Promotion List for the post of Sub-Inspector (Executive):- (i) Confirmed Assistant Sub-Inspector, (Exe.) who have minimum of six years of service in the rank of Assistant Sub-Inspector, shall be eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Assistant Sub-Inspectors, so selected, shall be brought on Promotion List in order of their respective seniority, keeping in view the vacancies in the rank of Sub-Inspector likely to occur in the following one year. The selected Assistant Sub-Inspectors shall be sent for training in the Upper School Course, subject to suitable medical examination, except those who are due to retire within 24 months from the date of commencement of training. Only three chances to complete the promotional training will be given to a candidate, failing which, his promotional claim will be cancelled. Those, who successfully qualify the Upper School Course as well as the candidates, who are exempted from the training, shall be promoted on regular basis, from the date of Departmental Promotion Committee held for the candidates against the existing vacancies at the time of Departmental Promotion Committee and for the remaining candidates on the panel, from the date of vacancy as and when such vacancies arise, in order of their respective seniority.

(ii) Technical Cadre -

Confirmed Assistant Sub-Inspector (Specialized/Technical)), who have minimum of six years service in their respective trades, shall be eligible. For Sub-Inspector (Armourer), Confirmed Head Constable (Armourer) with a minimum of twelve years service will also be eligible. The selection shall be made on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The names of selected Assistant Sub-Inspectors (Specialized/Technical) shall be brought on Promotion List (Technical Cadre) in order of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies likely to occur in the rank of Sub-Inspector, in the following one year, and they shall be promoted to the rank of Sub-Inspector, in their respective cadres as and when vacancies occur in the cadre.

(iii) Ministerial Cadre -

Confirmed Assistant Sub-Inspector (Ministerial), who have minimum of six years service in this rank, shall be eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee. The names of selected candidates shall be brought on Promotion List (Ministerial), in order of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies, likely to occur in the rank of Sub-Inspector (Ministerial), in the following one year, and they shall be promoted to the rank of Sub-Inspector (Ministerial), as and when vacancies occur."

- Stenographer:- After completion of two years probation period successfully, the Assistant Sub-Inspector (îv) (Steno) will be elevated and designated as Sub-Inspector (Steno) in the same Pay Band and Grade Pay.
 - 9. In the said rules, for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:
 - "17 Executive Cadre:- (i) Confirmed Sub-Inspector (Executive), who have minimum of six years of service in the rank of Sub-Inspector (Executive) shall be eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee. The names of selected Sub-Inspectors shall be brough to Promotion List (Executive) on the basis of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies likely to occur in the following one year and promotion will be made to the rank of Inspector from this list as and when vacancies become available.
- Technical Cadre Confirmed Sub-Inspector (Specialized/Technical), who have minimum of six years of (ii) service in the rank of Sub-Inspector in their respective cadres shall be eligible. The selection shall be made on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The names of selected Sub-Inspector, shall be brought on Promotion List (Specialized/Technical) in order of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies, likely to fall vacant in the following one year, and they shall be promoted to the rank of Inspector, in their respective cadres, as and when vacancies become available.
- (iii) Ministerial Cadre:- Confirmed Sub-Inspector (Ministerial) and Confirmed Shorthand Reporters (Sub-Inspectors) having six years service in the rank of Sub-Inspector (Ministerial) and Sub-Inspector (Shorthand Reporter) respectively shall be eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee. The names of the Sub-Inspector (Ministerial) and Shorthand Reporters (Sub-Inspectors) so selected shall be brought on Promotion List (Ministerial) in order of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies, likely to occur in the following one year, and promotions made to the rank of Inspector (Ministerial) from this list as and when vacancies become available.
 - Stenographers:- Confirmed Assistant Sub-Inspectors (Stenographer), who have been elevated as Sub-Inspector (Steno) and have minimum of thirteen years service in the Stenographers cadre (Assistant Sub-Inspector/Sub-Inspector), shall be eligible. The selection shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee. The names of selected candidates shall be brought on promotion list (Stenographer), in order of their respective seniority, keeping in view the number of vacancies, likely to occur in the following one year and promotion made to the rank of Inspector/ Stenographers from this list, as and when vacancies become available. However, these Inspectors/Steno will not be eligible for inclusion in the Common seniority List of Inspectors being considered for induction into DANIPS. Promotion of the eligible elevated Sub-Inspector (Steno) shall be subject to furnishing of an undertaking from the existing Sub-Inspector/Assistant Sub-Inspector (Steno), that they are aware that they have no claim to get inducted into DANIPS Cadre."
 - 10. In the said rules, for sub-rule (ii) of rule 19, the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - 19 (ii):- To encourage outstanding sportsmen, marksmen, officers who have shown exceptional gallantry and devotion to duty, the Commissioner of Police may, with prior approval of Administrator, promote such officers to the next higher rank provided vacancies exist. Such promotions shall not exceed five percent of the vacancies likely to fall vacant in the given year in the rank. Such promotion shall be treated as adhoc and shall be given to the officers who are confirmed or have cleared probation period in the substantive rank. Regular promotion shall be done to the next rank on successful completion of the training course like, Lower/Inter/Upper School Courses etc. Only three chances to complete the promotional training course shall be given to a candidate, failing which, his promotional claim shall be cancelled. For purposes of seniority, such promotees shall be placed at the bottom of the regular promotion list of that year if such list exists.
 - 11. In the said rules, for rule 20, the following rule shall be substituted, namely:—
 - 20. Promotion of Lady Police The rules laid down for the admission of names to promotion lists and confirmations as for male police shall apply mutatis mutandis to the lady police but tests and interviews for them shall be held by Departmental Promotion Committees for purpose of selection separately. However, if there is no Woman Constable on promotion list through competitive test, all the vacancies in the rank of Woman Head Constables shall be filled by promotion of the Women Constables through seniority-cumsuitability basis.

1727 26/15-3

फा. सं. 16/6/2014/गृ.पु.—1/स्थापना/251 से 253—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप—धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और एम टी के विभिन तकनीकी संवर्ग जहां तक यह मद सं XVIII, XIX, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLV तथा XLVI से संबंधित, सिपाहियों के पदसे संबंधित दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के अधिक्रमण में, इस अधिक्रमण से पहले हुई बातों और होने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1.	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ		इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं मत्ती) (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जायेगा।
			ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।
2.	नियम 17 – क में	(1)	दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में नियम 17 के परिशिष्ट "क" में :
	संशोधन		

(क) एमटी हेल्पर (सिपाही) (यांत्रिकी) के पद से संबंधित मद संख्या (XVIII) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी:—

1. पदनाम	एम.टी. हेल्पर (सिपाही) (यांत्रिकी)
2. पदों की संख्या	94* (2015) * इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्भर।
3. नर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4. वेतनमान	पे बैंड-1, 5200-20,200/-रु. जमा ग्रेड पे-2000/-रु.
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीददारों के लिए आयु सीमा	18—25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार:— नोट:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लददाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7. सीधी भर्ती वाले छम्मीदवारों के लिए	(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	(ख) (i) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाईल गैरेज / वर्कशाप में मोटर मेकेनिक के रूप में एक वर्ष के अनुभव सहित मोटर मैकेनिक के व्यवसाय में आई.टी.आई. प्रमाण पत्र तथा प्रशिक्षु प्रमाण पत्र । अथवा
	एक वर्ष के अनुभव सहित मोटर भैकेनिक के ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय सर्टिफिकेट।
	(ग) चम्मीदवार सुस्वस्थ हो / रोग / दोष या विरूपता से मुक्त हो ! (घ) बिना चश्मे के 6 / 6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखे 6 / 36 जो चश्मे के साथ 6 / 9 या 6 / 12 तक दोश सुघार या चश्मे के बिना (दोनों आंखे), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो । (ङ) लम्बाई—पुरूष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा (च) सीना— पुरूष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट । नोट:—सीधी भर्ती से चने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त / प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा
	आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं भारिरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
 क्या सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी 	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10. भर्ती की पद्वति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या दिलय द्वारा तथा विभिन्न पद्वतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा।
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ विलय किया जाना है।	लागू नहीं।



12. यदि कोई विमागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	दिल्ली पुलिस (पदोन्नित एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
 वे परिस्थितियां जिनमें मर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है। 	लागू नहीं

एम.टी. स्टोरमैन (सिपाही) के पद के लिये मद संख्या (XIX) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:— ख)

सूची

1. पदनाम	एम.टी. स्टोरमैन (सिपाही)
2. पदों की संख्या	02* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यमार पर निर्मर।
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4. वेतनमान	पे बँड-1, 5200-20200/-रु. जमा ग्रेड पे-2000/-रु.
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं -:
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार:-
	नोट: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो मारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीद्वारों के लिए	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 उत्तीर्ण या समकक्षः
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	ख) i) किसी ख्याति प्राप्त निजी/सरकारी आटोमोबाईल/वर्कशाप में कम से कम एक वर्ष एम.टी. स्टोर के किसी स्टोरमैन के रूप में कार्य किया हो।
	(ii) कम्प्यूटर में मूलमूत डिप्लोमा
•	ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो/रोग/दोष या विरूपता से मुक्त हो।
	घ) बिना चश्मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आखे 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या 6/12 तक दोष सुधार या च में के बिना (दोनों आखे), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो।
	ड) लम्बाई—पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा
	च) सीना—पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट।
	नोट:-सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ-साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
8. क्या सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10. भर्ती की पद्वति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्वतियों से मरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी मर्ती द्वारा।
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाना है।	लागू नहीं ।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	दिल्ली पुलिस (पदोन्नित एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

(ग) एम.टी. हैल्पर सिपाही (इलैक्ट्रीशियन) के पद के लिये मद संख्या (XXXVI) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:—

अनुसूची

1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (इलैक्ट्रीशियन)
2. पदों की संख्या	07* (2015)* इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4. वेतनमान	पे बैंड1, 520020200 / रु. जमा ग्रेड पे-2000 / रु.
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18—25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों / अनुदेशों के अनुसार:— नोट:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो मारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व
	स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकाबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7. सीघी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताए	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाईल गैरेज / वर्कशाप में आटो इलैक्ट्रीशियन के रूप में एक वर्ष अनुभव के साथसाथ आटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आई.टी.आई. तथा एप्रेन्टिशिप प्रगाण पत्र
	अथवा एक वर्षीय अनुभव सहित आटो इलैक्ट्रीशियन के ट्रेड में राश्ट्रीय ट्रेड (व्यवसाय) का प्रमाण पत्र।
	ग) जम्मीदवार सुरवस्थ हो / रोग / दोष या विरूपता से मुक्त हो। घ) बिना च भे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखे 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या 6/12 तक दोष सुधार या चश्मे के बिना (दोनों आंखे), प्रत्याशी रंग-अंधता से मुक्त हो।
	ड) लम्बाई— पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., प्रहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा
	च) सीना—पुरूष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्या ी के लिये 5 से.मी. की छूट। नोट:—सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त / प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं भारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10. भर्ती की पद्वित, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्वितयों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा।
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाना है।	लागू नहीं
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड ।
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

(घ) एम.टी. हैल्पर सिपाही (बैटरी चार्जमैन) के पद के लिये मद संख्या (XXXVII) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:—

1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (बैटरी चार्जमैन)
2. पदों की संख्या	03* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्मर।

3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4. वेतनमान	पे बैंड-1, 5200-20200 / - क्तृ जमा ग्रेड पे-2000 / - रु.
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती वाले जम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार:-
	नोट:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मिणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7. सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाईल गैरेज / वर्कशाप में आटो इलैक्ट्रिशियन या बैटरी चार्जमैन के रूप में कम से कम एक वर्ष अनुभव के साथ—साथ ऑटो इलेक्ट्रिशियन या बैटरी चार्जमैन के ट्रेड में आई टी.आई तथा एप्रेन्टिशिप प्रमाण पत्र। अथवा
	्राच्या एक वर्ष अनुभव सहित ऑटो इलेकिट्रशियन में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट।
	ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो/रोग/दोष या विरूपता से मुक्त हो।
	घ) बिना चश्मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखे 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या 6/12 तक दोष सुधार या चश्मे के बिना (दोनों आंखे), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो।
	ड) लम्बाई—पुरूष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी, पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा
	च) सीना—पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट।
	नोटः—सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी 	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्श
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या	सीधी भर्ती द्वारा।
पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्वतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	NIME OF THE PARTY
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाना है।	लागू नहीं
12. यदि कोई विमागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

(ङ) एम.टी. हैल्पर सिपाही (वैल्डर) के पद के लिये मद संख्या (XXXVIII) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:--

अनसची

- 3.6		
1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (वेल्डर)	
2. पदों की संख्या	04* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्मर।	
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)	
4. वेतनमान	पे बैंड-1, 5200-20200/- रु. जमा ग्रेड पे-2000/-रु.	
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	नागू नहीं	

6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18—25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों / अनुदेशों के अनुसार: नोट:आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वहीं होगी, जो भारत में रह
	रहे जम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः
अन्य योग्यताएं	ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाईल गैरेज / वर्कशाप में वैल्डर के रूप में कम से कम एक वर्ष अनुभव के साथ-साथ वैल्डर के ट्रेड में आई.टी.आई. तथा एप्रेन्टिसशिप प्रमाण पत्र। आर्क एवं गैस वैल्डिंग का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
	अथवा एक वर्ष अनुभव सहित वैल्डर के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट।
	ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो/रोग/दोष या विरूपता से मुक्त हो!
	घ) बिना चश्मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखे 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या
	6/12 तक दोष सुधार या चश्में के बिना (दोनों आंखे), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो।
	ड) लम्बाई—पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा
	च) सीना—पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबुंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट।
	नोटः—सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी 	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10. भर्ती की पद्वति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्वतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा।
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाना है।	लागू नहीं।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
 वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संव लोक सेवा आयोग का परांमर्श किया जाना है। 	लागू नहीं

्च) एम.टी. हैल्पर सिपाही (पेन्टर) के पद के लिये मद संख्या (XXXIX) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:—

1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (पेन्टर)
2. पदों की संख्या	02* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4. वेतनमान	पे बैंड-1, 5200-20200/- रु. जमा ग्रेड पे-2000/- रु.
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18—25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों / अनुदेशों के अनुसार:— नोट:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लददाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।

7. सीधी मर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाईल गैरेज/वर्कशाप में डेन्टर/स्प्रे पैन्टर के रूप में एक वर्ष अनुभव के साथ—साथ डैंटर ब्रिटिंग एवं स्प्रे पैन्टिंग के ट्रेड में
	आई.टी.आई. तथा एप्रेन्टि स् शिप प्रमाण पत्र।
	अथवा
	एक वर्ष अनुभव सहित डैंटर/पैन्टर के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट।
	ग) जम्मीदवार सुस्वस्थ हो / रोग / दोष या विरूपता से मुक्त हो।
-	घ) बिना चश्मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखें 6/36 जो चश्मे के साथ
	6/9 या 6/12 तक दोष सुधार या चश्मे के बिना (दोनों आंखें), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो।
	ङ) लम्बाई-पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात्
	गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट, तथा
	च) सीना-पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र
	अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट।
	नोट:-सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं
4	शारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा
	संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्घारित आयु तथा	लागू नहीं
शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले जम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	त् तर्ष
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या	सीधी भर्ती द्वारा।
प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाना है।	लागू नहीं।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	दिल्ली पुलिस (पदोन्नित एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

(छ) एम.टी. हैल्पर सिपाही (वेलक्यूम / टायरमैन) के पद के लिये मद संख्या (XL) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:--

1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (वेलक्यूम/टायरमैन)
2. पदों की संख्या	02* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4. वेतनमान	पे बैंड—1, 5200—20200 / — रु. जमा. ग्रेड पे—2000 / — रु.
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18—25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार:—
	नोटः—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन—पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मिणेपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाईल गैरेज / वर्कशाप में वेलक्यूम / टायरमैन के हैल्पर के रूप में एक वर्ष अनुभव के साथ-साथ मोटर मैकेनिक के ट्रेड में आई टी.आई. तथा एप्रेन्टिसशिप प्रमाण पत्र और टायरमैन के कार्यों का ज्ञान। अथवा
	एक वर्ष अनुभव सहित टायरमैन के कार्यों का ज्ञान तथा मोटर मैकेनिक के ट्रेंड में नेशनल ट्रेंड सिर्टिफिकेट। ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो /रोग / दोष या विरूपता से मुक्त हो। घ) बिना चश्मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखें 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या 6/12 तक दोष मुधार या चश्मे के बिना (दोनों आंखें), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो। ड) लम्बाई—पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा

	च) सीना—पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट। नोट:—सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने चाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण—लेना होगा और साथ—साथ- पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा।
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाना है।	लागू नहीं।
12. यदि कोई विमागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	दिल्ली पुलिस (पदोन्नित एवं स्थायीकरण) नियम1980 के नियम8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
13. वे परिस्थितियां जिनमें भती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।	.लागू नहीं 🕆

(ज) एम.टी. हैल्पर सिपाही (डेन्टर) के पद के लिये मद संख्या (XLI) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:—

1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (डेन्टर)
2. पदों की संख्या	02* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4. वेतनमान	पे बँड-1, 5200-20200 /-रु. जमा ग्रेड पे-2000 /-रु.
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों / अनुदेशों के अनुसार। नोट:आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लददाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
 तीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः ख) किसी ख्याति प्राप्त वर्कशाप में डेन्टर के रूप में एक वर्ष का अनुभव के साथ—साथ डेन्ट बिटिंग तथा स्प्रे पैन्टिंग के ट्रेड में आई.टी.आई. तथा एप्रेन्टिसशिप प्रमाण पत्र।
	अथवा
	एक वर्ष अनुभव सहित डेन्टर के ट्रेड में ने ानल ट्रेड सर्टिंफिकेट। ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो / रोग / दोष या विरुपता से मुक्त हो। घ) बिना चश्मे के 6 / 6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखें 6 / 36 जो चश्मे के साथ 6 / 9 या 6 / 12 तक दोष सुधार या चश्मे के बिना (दोनों आंखें), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो। ङ) लम्बाई—पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा च) सीना—पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट। नोटः—सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त / प्रोविजनिंग एवं लॉजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मुल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।

8. क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा।
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाना है।	लागू नहीं।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

झ) एम.टी. हैल्पर सिपाही (अपहोल्स्टर) के पद के लिये मद संख्या (XLII) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:—

1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (अपहोल्स्टर)	
2. पदों की रांख्या	02* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्भर।	
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)	
4. वेतनमान	पे बैंड-1, 520020200/-रु. जमा ग्रेड पे2000/-रु.	
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं	
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18—25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों / अनुदेशों के अनुसार। नोट:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन—पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्नीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्ष	
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाइल गैरेज/वर्कशाप में अपहोल्स्टर के रूप में एक वर्ष के अनुभव के साथ—साथ अपहोल्स्टर के ट्रेड में आई.टी.आई. प्रमाण पत्र। अथवा किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाइल गैरेज/वर्कशाप में तीन वर्ष के अपहोल्स्टर के रूप में अनुभव	
,	अथवा	
,	एक वर्ष अनुभव सहित अपहोल्स्टर के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट।	
	ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो/रोग/दोष या विरूपता से मुक्त हो।	
	घ) बिना च मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखे 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या 6/12 तक दोष सुधार या चश्मे के बिना (दोनों आंखे), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो।	
	ङ) लम्बाई—पुरूष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा	
	च) सीना— पुरूष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट।	
	नोटः—सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।	
 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी 	लागू नहीं	
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष	
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदीन्नति	सीधी मर्ती द्वारा।	
द्वारा या प्रतिनियुक्ति या बिलय द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
12-28/8/11-		

11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा	लागू नहीं।
होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे	
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलय किया जाना है।	ि के कि प्राप्त कार्योक्ता किया 1000 के निराम-8 में एथा उपलिख समूच
	दिल्ली पुलिस (पदोन्निति एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
उसकी संरचना क्या है?	
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक	लायू नहा
सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।	

अ) एम.टी. हैल्पर सिपाही (ब्लैकरिमथ) के पद के लिये मद संख्या (XLIII) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:—

निम्नसिखत प्रतिस्थापित कियं जीयगः— अनुसूची		
1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (ब्लैकस्मिथ)	
2. पदों की संख्या	02* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्भर।	
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)	
4. वेतनमान	पे बैंड-1, 5200-20200 / - रू जमा ग्रेड पे2000 / - रू.	
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लाग् नहीं	
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18—25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार। गोट:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए नान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पन्न~प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रतेश, मिजोरम, मणिपुर नामालैंड, त्रिपुरा, सिक्किंग, जम्मू व कश्मीर संज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः ख) किसी ख्याति प्राप्त वर्कशाप में ब्लैकिस्मथ/वेल्डर के रूप में एक वर्ष अनुभव के साथ—साथ वेल्डर/ब्लैकिस्मथ के ट्रेड में आई.टी.आई. तथा एप्रेन्टिसिशप प्रमाण पत्र। अथवा एक वर्ष अनुभव सिहत ब्लैकिस्मथ/वेल्डर के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सिटिंफिकेट। ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो/रोग/दोष या विरूपता से मुक्त हो। ध) बिना च मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखें 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या 6/12 तक दोष सुधार या चश्मे के बिना (दोनों आंखें), प्रत्याशी रंग-अंधता से मुक्त हो। ङ) लम्बाई—पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी. पहाडी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढवाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा च) सीना—पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढवाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट। नोटः—सीधी मर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।	
 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी 	करना होगा। लागू नहीं	
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष	
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा।	
11. यदि भर्ती पदोन्नित / प्रितिनियुक्ति / विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नित / प्रतिनियुक्ति / विलय किया जाना है।		
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	बोर्ड।	
 वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है। 	लागू नहीं	

19

ट) एम.टी. हैल्पर सिपाही (कारपेन्टर) के पद के लिये मद संख्या (XLIV) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:--

1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (कारपेन्टर)
2. पदों की संख्या	02* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण	
4. वेतनमान	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
	पे बँड–1, 5200–20200/रु. जम्। ग्रेड पे-2000/ रु.
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18—25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार।
	नोटः—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेद्यालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
 तीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित 	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाइल गैरेज / वर्कशाप में कारपेन्टर के रूप में एक वर्ष का अनुभव के साथ-साथ कारपेन्टर के ट्रेड में आई.टी.आई. तथा एप्रेन्टिसशिप प्रमाण पत्र।
	अथवा
	एक वर्ष अनुभव सिहत कारपेन्टर के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सिटिंफिकेट।
	ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो/रोग/दोष या विरूपता से मुक्त हो।
	घ) बिना चश्मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखें 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या 6/12 तक दोश सुधार या चश्मे के बिना (दोनों आंखें), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो।
	ङ) लम्बाई—पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा
	च) सीना—पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट।
	नोट:-सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ-साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी 	लागू नहीं
 परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 	दो वर्ष
10. मर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा।
 यदि भर्ती पदोन्नित / प्रितिनियुक्ति / विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नित / प्रितिनियुक्ति / विलय किया जाना है। 	लागू नहीं।
 यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है? 	दिल्ली पुलिस (पदोन्नित एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
 वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है। 	लागू नहीं

	नोट:आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह
	रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम्
·	मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व
	कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला
·	तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के
	उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित	
र शिक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	
सावाग तथा अन्य याग्यतार	ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाइल गैरेज / वर्कशाप में डेन्टर /फिटर के रूप में एक
	वर्ष का अनुमव के साथ-साथ डेन्टर/फिटर के ट्रेंड में आई.टी.आई. तथा एप्रेन्टिसशिप
	प्रमाण पत्र।
	अथवा
	एक वर्ष अनुभव सहित डेन्टर/फिटर के ट्रेंड में नेशनल ट्रेंड सर्टिफिकेट।
	ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो/रोग/दोष या विरूपता से मुक्त हो।
	घ) बिना चश्मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखें 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या
	6/12 तक दोष सुधार या चश्में के बिना (दोनों आखें), प्रत्याशी रंग-अंधता से मुक्त हो।
	1
	ङ) लम्बाई-पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा
	व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा
	च) सीना-पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात्
	गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट।
	नोट:-सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक
<u>į</u> .	युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण
· .	िलेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
8. क्या सीधी भर्ती वाले जम्मीदवारों के लिए निर्धारित	लागू नहीं
आयू तथा शैक्षिक योग्यताये पदोन्नित वाले	en Lue
उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्ति	सीधी भर्ती द्वारा।
द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा	राजा जेता द्वारा।
विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का	
प्रति ।त	
1.	
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/	लागू नहीं। .
प्रतिनियुक्ति/विलय् किया जाना है।	· · · · -
1	
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नित समिति हो, तो	दिल्ली पुलिस (पदोन्नित एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित
उसकी संरचना क्या है?	चयन बोर्ड।
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक	लागू नहीं
सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।	1 SUN (10)
The second of the second second second	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पंकज कुमार, अतिरिक्त सचिव (गृह)

F. No. 16/6/2014/HP-I/Estt./251 to 253.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) and in supersession of the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules,1980 relating to the post of Constables of different Technical Cadre of M.T. in so far as they relate to item No. XVIII, XIX, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV and XLVI, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes following rules, further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:—

- Short title and commencement:-
- (1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Amendment of In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, in rule 17-A, in Appendix 'A',

Rule 17-A 1727 Da/15-6 ठ) एम.टी. हैल्पर सिपाही (टी.सी. स्मिथ) के पद के लिये मद संख्या (XLV) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे—

अनुसूची

•	
1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (टी.सी. स्मिथ)
2. पदों की संख्या	02* (2015) इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्भर।
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4. वेतनमान	पे बैंड-1, 5200-20200/-रु. जमा ग्रेड पे-2000/-रु.
 चयन पद है अथवा गैर चयन पद 	लागु नहीं
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार। नोट:-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मिण़पुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
 तीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाइल गैरेज / वर्कशाप में टी.सी. स्मिथ / डेन्टर के रूप में एक वर्ष अनुभव के साथ-साथ सीट गैटलवर्क / फैब्रिकेटर / डेन्टर के ट्रेड में आई.टी.आई तथा एपेन्टिस्शिप पमाण पत्र ! अथवा
	एक वर्ष अनुगव राहित सीट मैटलवर्क/फैबिकेटर/डेन्टर के ट्रेंड में नेशनल ट्रेंड सिटिफिकेट। ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो/रोग/दोष या विरूपता से मुक्त हो। घ) बिना चश्मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखे 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या 6/12 तक दोष सुधार या चश्मे के बिना (दोनों आंखे), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त हो। ड) लम्बाई—पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात गोरखा व
	गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा च) सीना—पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट। नोट:—सीधी मतीं से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं भारीरिक प्रशिक्षण लेना होगा और साथ—साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले मूल प्रशिक्षण को प्राप्त
	करना होगा।
 क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नित वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी 	लागू नहीं
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10. मर्ती की पद्वित, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्ति द्वारा या प्रितिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा विभिन्न पद्वितयों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा।
11. यदि भर्ती पदोन्नित / प्रितिनियुक्ति / विलय द्वारा होनी हो, तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नित / प्रितिनियुक्ति / विलय किया जाना है।	लागू नहीं।
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	दिल्ली पुलिस (पदोन्नित एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित चयन बोर्ड।
 वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है। 	लागू नहीं

ड) एम.टी. हैल्पर सिपाही (डोर लॉक स्मिथ) के पद के लिये मद संख्या (XLVI) के लिये तालिका तथा उससे संबंधित अनुसूची एवं प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे:—

1. पदनाम	एम.टी. हैल्पर सिपाही (डोर लॉक स्मिथ)	
2. पदों की संख्या	02* (2015) *इसमें परिर्वतन कार्यभार पर निर्मर।	
3. वर्गीकरण	समूह 'ग' (अराजपत्रित) (तकनीकी)	
4. वेतनमान	पे बैंड-1, 5200-20200/रु. जमा ग्रेड पे-2000/- रु.	
5. चयन पद है अथवा गैर चयन पद	लागू नहीं	
6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	18—25 वर्ष के बीच, आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय—समय पर जार्र आदेशों/अनुदेशों के अनुसार।	



•	••
	नोट:आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह
	रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम,
	मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व
,	कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला
	तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के
	उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
 सीधी भर्ती वाले उम्मीद्वारों के लिए अपेक्षित 	क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्षः
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	ख) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाइल गैरेज / वर्कशाप में डेन्टर / फिटर के रूप में एक
	वर्ष का अनुभव के साथ-साथ डेन्टर/फिटर के ट्रेड में आई.टी.आई. तथा एप्रेन्टिसशिप
	प्रमाण पत्र।
	अथवा
	एक वर्ष अनुभव सहित डेन्टर/फिटर के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट।
	ग) उम्मीदवार सुस्वस्थ हो/रोग/दोष या विरूपता से मुक्त हो। घ) बिना चश्मे के 6/6 बेहतर दृष्टि, खराब आंखें 6/36 जो चश्मे के साथ 6/9 या
	व) बिना चरन के 6/6 बहतर दृष्टि, खरीब अखि 6/36 जा चरन के साथ 6/9 या 6/12 तक दोष सुधार या चरने के बिना (दोनों आंखे), प्रत्याशी रंग—अंधता से मुक्त
	हो।
	डि) लम्बाई—पुरुष प्रत्याशी की न्यूनतम लम्बाई 165 से.मी., पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गोरखा
	व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से.मी. की छूट तथा
	च) सीना-पुरुष प्रत्याशी का सीना 81 से 85 से.मी. होना चाहिए पहाड़ी क्षेत्र अर्थात्
	गोरखा व गढ़वाल से संबंधित प्रत्याशी के लिये 5 से मी. की छूट।
	नोट:-सीधी भर्ती से चुने प्रत्याशी को पुलिस उपायुक्त/प्रोविजनिंग एवं लोजिस्टक
	युनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले छह माह का तकनीकी एवं शारीरिक प्रशिक्षण
	लेना होगा और साथ-साथ पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय हारा संचालित किये जाने वाले
	मूल प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा।
 क्या सीधी भर्ती वाले जम्मीदवारों के लिए निर्धारित 	लागू नहीं
आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नति वाले	
उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	
9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	दो वर्ष
10. भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	सीधी भर्ती द्वारा।
द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलय द्वारा तथा	
विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का	
प्रति ात	
11. यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा	लागू नहीं।
होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/	~
प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाना है।	
12. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो	दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) नियम—1980 के नियम—8 में यथा उपबंधित
उसकी संरचना क्या है?	चयन बोर्ड।
	·
13. वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक	लागू नहीं
सेवा आयोग का परामर्श किया जाना है।	·

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पंकज कुमार, अतिरिक्त सचिव (गृह)

F. No. 16/6/2014/HP-I/Estt./251 to 253.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) and in supersession of the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980 relating to the post of Constables of different Technical Cadre of M.T. in so far as they relate to item No. XVIII, XIX, XXXVII, XXXVIII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV and XLVI, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes following rules, further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:—

- 1. Short title and commencement:-
- (1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment) and Recruitment) (Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, in rule 17-A, in Appendix 'A',

2. Amendment of Rule 17-A

1727 Da/15-6

(a) For table relating to items No. (XVIII) to the post of M.T. Helper (Constable) (Mechanical) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

1.	Name of post.	M.T. Helper (Constable) (Mechanical).
2.	Number of post.	94* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/-
5.	Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.
		Note: The erucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution; (b) ITI Certificate and Apprenticeship Certificate in the traced of Motor Mechanic with one year experience as Motor Mechanic in an Automobile Garage/Workshop of repute; or
		 Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Molor Mechanic with one year experience; (c) Candidate should be of sound health, free from disease, defect or deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate
		should be free from colour blindness; (e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis and;
		(f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis.
		Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

(b) For table relating to items No. (XIX) to the post of M.T. Storeman (Constable) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

1.	Name of post.	M.T. Storeman (Constable).
2.	Number of post.	02 *(2015) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4.	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/-

5.	Whether selection post or non selection post.	Not one lieuts
6.		Not applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.
		Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Hirnachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	 (a) 10+2 passed or equivalent from recognized institution; (b) (i) Should have worked as a Storeman of M.T. stores for at least one year in any private workshop of repute/ Govt. Automobile Workshop; (ii) Should have the basic diploma in computer; (c) The candidate should be of sound health, free from disease, defect and
		(d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness;
		 (e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and (f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis.
		Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years,
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

(c) For table relating to items No. (XXXVI) to the post of M.T. Helper Constable (Electrician) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

1. Name of post.	M.T. Helper Constable (Electrician).
2.Number of post.	07* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
3.Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4. Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.	PB-I, Rs. 5200/20200/- plus Grade Pay Rs.2000/-
5. Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6. Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.
	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	 (a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution; (b) ITI and Apprenticeship Certificate in the trade of Auto Electrician with one year experience of Auto Electrician in Automobile Garage/Workshop of repute;
	or

	National Trade Certificate in the trade of Auto Electrician with one year experience; (c) Candidate should be sound of health, free from disease, defect and deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness; (e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and; (f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Not applicable.
9. Period of probation, if any.	Two years
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

(d) For table relating to items No. (XXXVII) to the post of M.T. Helper Constable (Battery Chargeman) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

1. Name of post.	M.T. Helper Constable (Battery Chargeman).
2. Number of post.	03* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4. Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.	PB-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000/-
5. Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6. Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	 (a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution; (b) ITI Certificate and Apprenticeship Certificate in the trade of Auto Electrician or Battery Chargeman with one year experience as Auto Electrician or Battery Chargeman in an Automobile Garage/Workshop of repute; or Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Auto Electrician with one year experience; (c) The candidate should be of sound health, free from disease, defect or deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness; (e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and (f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis.



137

	Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9. Period of probation, if any.	Two years.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

(e) For table relating to items No. (XXXVIII) to the post of M.T. Helper, Constable (Welder) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

1. Name of post.	M.T. Holmor Canadalla (W. 14.)
2. Number of post.	M.T. Helper Constable (Welder).
3. Classification.	04* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4. Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/
5. Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6. Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.
	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	(a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution;
	(b) ITI and Apprenticeship Certificate in the trade of Welder with one year experience as Welder in an Automobile Garage/Workshop of repute. Should have thorough knowledge of Arc & gas welding;
	Or Having National T. d. C. 1977 as a surgery
· ·	Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Welder with one year experience:
	(c) The candidate should be of sound health, free from disease, defect or deformity;
	(d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness;
	(e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and
•	(f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis.
	Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9. Period of probation, if any.	Two years.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and

172726/15-7

-	composition.	Confirmation) Rules, 1980.
	13. Circumstances in which Union Public Service Commission is to	Not applicable.
	be consulted in making recruitment.	

(f) For table relating to items No. (XXXIX) to the post of M.T. Helper, Constable (Painter) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

1. Name of post.	M.T. Helper, Constable (Painter).
2. Number of post.	02*(2015) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4. Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/-
5. Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6. Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.
	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)
7. Educational and other qualifications required for direct recruits.	 (a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution; (b) ITI and Apprenticeship Certificate in the trade of Dent Beating and Soray painting with one year experience as Denter/Spray Painter in an Automobile Garage /Workshop of repute;
	Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Denter/Painter with one year experience; (c) Candidate should be of sound health, free from disease, defect and deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness; (e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and (f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning & Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9. Period of probation, if any.	Two years.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13. Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

(g) For table relating to items No. (XL) to the post of M.T. Helper, Constable (Valcum/Tyreman) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

1.	Name of post.	M.T. Helper Constable (Valcum/Tyreman).
2.	Number of post.	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/
5.	Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.

DELHI GAZ	JUL 1 ID.
ART IV]	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed receipt of applications in Maisura, Magaland, for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Maizoram, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andarnan District and Pradesh, Andarnan Nicobar Island or Lakshadweep) (a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution; (b) ITI and Apprenticeship Certificate in the trade of Motor Mechanic and knowledge of Tyreman work with one year experience as Helper to Noleym/Tyreman in an Automobile Garage/Workshop of repute;
	Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Motor Mechanic and having knowledge of Tyreman work with one year experience; having knowledge of Sound health, free from disease, defect and deformity; (c) The candidate should be of sound health, free from disease, defect and deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness; 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness; eminimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. Note: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case.	Not applicable.
of promotees.	Two years.
9. Period of probation, if any. 10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be	By direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion/ deputation/absoreption grades from which	Not applicable.
12. If a Departmental Promotion what is its composition.	Vice Not applicable.
recruitment.	of M.T. Helper, Constable (Denter) and entries relating thereto, the following Schedule

(h) For table relating to items No. (XLI) to the post entries relating thereto shall be substituted, namely:— SCHEDULE

ries relating thereto shall be	5400	SCHEDOZ
		M.T. Helper Constable (Denter).
l. Name of post.		22* (2015) * Subject to variation depondent
Number of post.		Gazetted) (lechnicat).
3. Classification.	Coole	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Fay Rs. 2008
4. Pay Band and Grade	Pay/Pay Scale	Not applicable. Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government
Whether selection po	st of flori science,	Between 18 to 25 years, relaxation as per steer
6 Age limit for direct re	ecruits.	from time to time.
7. Educational and oth direct recruits	er qualifications required for	 (a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution, (b) ITI Certificate and Apprenticeship Certificate in the trade of Dent beating and spray painting with one year experience as Denter in a workshop of repute; or Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Denter with one year experience; (c) The candidate should be of sound health, free from disease, defect and deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness; (e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. (f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo simonths technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissione months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissione

		of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

(i) For table relating to items No. (XLII) to the post of M.T. Helper, Constable (Upholster) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:

1.	Name of post.	M.T. Helper Constable (Uphoister).
2.	Number of post.	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/-
5.	Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.
		Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	 (a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution; (b) 1Tl in the trade of Upholster with one year experience or three years experience as Upholster in an Automobile Garage/Workshop of repute;
		or Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Upholster with one year experience; (c) Candidate should be of sound health, free from disease, defect and deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour
		blindness; (e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and (f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis.
		Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning & Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.

-	13.	Circumstances in Commission is recruitment.			Not applicable.
٠			 	 	

(j) For table relating to items No. (XLIII) for the post of M.T. Helper, Constable (Blacksmith) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

	·	SCHEDULE
1.	Name of post.	M.T. Helper, Constable (Blacksmith).
2.	Number of post.	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/
5.	Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.
		Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar island or Lakshadweep)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution;
	direct rectuits.	(b) ITI Certificate and Apprenticeship Certificate in the trade of Welder/Blacksmith with one year experience as Blacksmith/Welder in a workshop of repute;
	•	or
		Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Blacksmith/Welder with one year experience;
		(c) Candidate should be of sound health, free from disease, defect and deformity;
		(d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness;
		(e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and
		(f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis.
		Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable.
		

(k) For table relating to items No. (XLIV) to the post of M.T. Helper, Constable (Carpenter) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

I.	Name of post.	M.T. Helper, Constable (Carpenter).
2.	Number of post.	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).

4.	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale.	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/
5.	Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	(a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution; (b) ITI and Apprenticeship Certificate in the trade of Carpenter with one year experience as Carpenter in an Automobile Garage/ workshop of repute; or Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Carpenter with one year experience; (c) Candidate should be of sound health, free from disease, defect and deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness; (e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and (f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis. Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning & Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption and grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

(I) For table relating to items No. (XLV) to the post of M.T. Helper, Constable (T.C.Smith) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

1.	Name of post.	M.T. Helper, Constable (T.C.Smith).
 -		
2.	Number of post.	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/
5.	Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6.	Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of
		applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)
7.	Educational and other qualifications required	(a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution;
	for direct recruits.	(b) ITI and Apprenticeship Certificate in the trade of Sheet Metal work/Fabricator/Denter with one year experience as T.C. Smith/Denter in an Automobile Garage/ workshop of repute;
		or
		Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Sheet Metal work/ Fabricator/Denter with one year experience;
		(c) Candidate should be of sound health, free from disease, defect and deformity;
		(d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness;
		(e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and

	·	
-		(f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis.
		Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be fill.	By direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

(m) For table relating to items No. (XLVI) to the post of M.T. Helper, Constable (Door Lock Smith) and entries relating thereto, the following Schedule and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

1.	Name of post.	M.T. Helper, Constable (Door Lock Smith).
2.	Number of post.	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.
3.		Group 'C' (Non Gazetted) (Technical).
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.	PB-I, Rs. 5200-20200/- plus Grade Pay Rs. 2000/-
5.	Whether selection post or non selection post.	Not applicable.
6,	Age limit for direct recruits.	Between 18 to 25 years, relaxation as per order/instructions issued by Government from time to time.
		Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep)
7.	Educational and other qualifications required for	(a) Matriculation passed or equivalent from recognized institution;
	direct recruits.	(b) ITI Certificate and Apprenticeship Certificate in the trade of Denter/Fitter with one year experience as Denter/Fitter in an Automobile Garage/workshop of repute;
		or Having National Trade Certificate (NTC) in the trade of Denter/Fitter with one year experience;
		 (c) Candidate should be of sound health, free from disease, defect and deformity; (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). Candidate should be free from colour blindness; (e) Height: Male candidate minimum 165 cms, relaxable by 5 cms for candidate belonging to hill area i.e. Gorkha and Garhwalis; and
•		(f) Chest: Male candidate 81 to 85 cms, relaxable by 5 cms for candidates belonging to hill areas i.e. Gorkha and Garhwalis.
		Note: The candidate selected through direct recruitment shall have to undergo six months technical and physical training to be conducted by the Deputy Commissioner of Police/Provisioning and Logistics Unit and basic police training side by side to be conducted at the Police Training School.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	Two years.
10.	Method of recruitment, whether by direct	By direct recruitment.

	recruitment or by promotion/ or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
11.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Selection Board as provided in rule 8 of the Delhi Police (Promotion and Confirmation) Rules, 1980.
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PANKAJ KUMAR, Addl. Secy. (Home)